

4261

संख्या- 424125 /ई-47979

प्रेषक,

महावीर सिंह चौहान
अपर मंचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 18 अगस्त, 2026

विषय: राज्य योजना के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र धनौटी के विभिन्न निर्माण कार्यों की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति। (प्रथम चरण)।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, धे.का., लोक निर्माण विभाग, पौड़ी द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रथम चरण आगणन/eDPR, जिसमें 03 मार्गों की कुल लम्बाई 9.05 कि०मी० एवं जिनकी लागत, ₹ 14.89 लाख है, के शासन स्तर पर परीक्षणोपरान्त संस्तुत औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि ₹ 14.89 लाख (रुपये चौदह लाख नवामी हजार मात्र) की प्रशासकीय तथा वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में व्यय हेतु प्रति कार्य ₹10,000/- (₹ दस हजार मात्र) अर्थात् 03 कार्यों हेतु ₹30,000/- (₹ तीन हजार मात्र) की धनराशि आपके निर्वर्तन में रखे जाने की श्री राज्यपाल महर्ष स्वीकृति प्रदान

(नियोजन) -

क्र. सं.	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी. में)	शासन द्वारा अनु० लागत (लाख ₹ में)	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5
1	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र धनौटी के विकास खण्ड श्रौलधार में रमोलमारी वैण्ड में रमोलमारी गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण) DPR 2186	4.00	6.58	0.10
2	राज्य योजना के अंतर्गत टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र धनौटी में लालपुल-भुल्मी मोटर मार्ग के कि०मी० 0 1 में निमलीमैण होते हुए प्राथमिक विद्यालय ल्वाखा तक लगभग 3.05 कि०मी० मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (प्रथम चरण हेतु) DPR 4713	3.05	5.02	0.10
3	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र धनौटी में कन्डियाणा में नारायणगांव तक मोटर मार्ग का निर्माण।(प्रथम	2.00	3.29	0.10

चरण) DPR 2915			
कुल योग:	9.05	14.89	0.30

(रु. तीस हजार मात्र)

2- उपरोक्त कार्यों की स्वीकृति निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन होगी :-

- कार्य स्थल की कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व, समय समय पर कार्य के दौरान तथा कार्य समाप्ति के उपरान्त जी0पी0एम0 फोटोग्राफ तथा वीडियो कार्यदायी संस्था द्वारा संग्रहित रखी जाय।
- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्राविधिक स्वीकृति के सम्बंध में विन्त विभाग के शासनादेश संख्या 149101/xxvii(7)E-20109/2022 दिनांक 25 अगस्त, 2023 में प्राविधानित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाय। यह भी देख लिया जाय कि उक्त कार्य उससे पूर्व अन्य विभागीय बजट से न कराये गये हों, यदि कराये गये हैं तो आहरण नहीं किया जायेगा अर्थात् दोहराव की स्थिति नहीं हों, यह सुनिश्चित कर लिया जाय।
- शासनादेश सं0 383/III(1)/19-190 (PWD) 01 टीसी-11 दिनांक 05.02.2020 का अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाये।
- उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदुपरान्त शासनादेश संख्या:-1764/III(2)/10-17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को विन्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- उक्त के अतिरिक्त शासनादेश संख्या-383/III(1)19-190(PWD)01टी.सी.11 दिनांक 05.02.2020 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
- विषयगत आगणन में उल्लिखित करें, जो शेड्यूल ऑफ रेट में भिन्न हैं अथवा बाजार भाव से नी गई हों, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।
- कार्यों पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में वचन हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।
- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्यतजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दगों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित करते समय पालन करना सुनिश्चित करें।
- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।
- स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रेक्चोरमेन्ट रूलम्-2025 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।
- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या:-2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- उक्तानुसार स्वीकृत आगणनों में एन्.पी.वी., भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के सम्बन्ध में यथावश्यक व्यय अनुदान संख्या-22 के सुसंगत लेखाधीर्षक/मानक मदों/उपमदों में विभागीय आय-व्यय में प्राविधानित तथा निवर्तन पर रखी गयी धनराशि में किया जायेगा।
- स्वीकृत किये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

- xiv. वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31.03.2027 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्यों के मापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद में निर्वर्तन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।
- xv. यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यों में से कोई कार्य प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत है अथवा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की जा सकती है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
- xvi. विषयगत कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में व्यय हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि का बजट आवंटन, वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या:- 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च, 2012 के अनुक्रम में, लोक निर्माण विभाग के अनुदान संख्या-22, के अन्तर्गत संलग्न अलॉटमेंट आई.डी. द्वारा आपको आवंटित कोड संख्या-4227 Chief Engineer, PWD में किया जा रहा है।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं.-22 लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें-337 सड़क निर्माण कार्य -03 राज्य सेक्टर-02 नया निर्माण कार्य-53 वृहद निर्माण (5054-04-800-03-02 से स्थानान्तरित) के नामे डाला जायेगा।

3 - यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के कम्प्यूटरजनित क्रमांक- 1/423860/2026 दिनांक 17 अगस्त, 2026 में प्रदत्त सहमति के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

Digitally signed by
Mahaveer Singh Chauhan
Date: 17-08-2026
17:59:05

(महावीर सिंह चौहान)
अपर सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4. जिलाधिकारी, टिहरी।
5. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लो.नि.वि., पौड़ी।
6. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
8. अधीक्षण अभियन्ता, आठवां वृत्त, लोक निर्माण विभाग, नई टिहरी।
9. सम्बन्धित अधिशामी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।

आज्ञा से,
अपर सचिव।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2026 - 2027)
Secretary-Secretary, PWD(S038)
HOD-Chief Engineer PWD(4227)

आवंटन पत्र संख्या -1/424125/2026
अनुदान संख्या -022

आवंटन आई डी-S26080220042
आवंटन पत्र दिनांक-18-AUG-2026

लेखा शीर्षक 5054-सड़क तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय
337-सड़क निर्माण कार्य
02-नये निर्माण कार्य

04-जिला तथा अन्य सड़कें
03-राज्य सेक्टर

Voted

5	0	5	4	0	4	3	3	7	0	3	0	2
मानक मद का नाम				पूर्व में जारी		वर्तमान में जारी		अब तक का व्यय		योग		
53-वृहद निर्माण				3240000		30000		0		3270000		
योग				3240000		30000		0		3270000		

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.30,000 (Rupees Thirty Thousand Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग,
“नियोजन-1” उत्तराखण्ड देहरादून



(OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, PWD, DEHRADUN UTTRAKHAND)

Web-http://govt.ua.nic.in/pwd

E-mail: p1hodpwduk@gmail.com

पत्रांक-1016 / 20याता०(वित्तीय स्वीकृति)नियो०-1 / 2026,

दिनांक 21 अगस्त, 2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग,।
- अधीक्षण अभियन्ता, 08 वृत्त, लोक निर्माण विभाग,।
- अधिशाली अभियन्ता,खण्ड, लोक निर्माण विभाग,।
- आई०टी० सैल, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
- सहायक लेखाधिकारी, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
- अपर सहायक अभियन्ता, प्राविधिक वर्ग विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी,
कार्या० प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, देहरादून